न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/92/2023	2023/521	11–10–2023	15–05–2024

01–मंजु देवी पत्नी स्वं श्री तुलसीराम, जाति बैरवा, उम्र करीब 43 साल, निवासी पाला तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

01–तहसीलदार (भू0अ0) अलवर तहसील व जिला अलवर राज0।
02–पांची पत्नी स्व. श्री सगरू जाति चमार, निवासी केशरपुर तहसील व जिला अलवर।
03–गजना पुत्री स्व.श्री सगरू जाति चमार, निवासी केशरपुर तहसील व जिला अलवर।
04–झूमा पुत्री स्व. श्री सगरू जाति चमार, निवासी केशरपुर तहसील व जिला अलवर।
05–फूलवती पुत्री स्व. श्री सगरू जाति चमार, निवासी केशरपुर तहसील व जिला अलवर।
06–बादामी पुत्री स्व. सगरू जाति चमार, निवासी केशरपुर तहसील व जिला अलवर।
07–रामभरोसी पुत्र स्व. सगरू जाति चमार, निवासी केशरपुर तहसील व जिला अलवर।
08–हरी पुत्र स्व. सगरू जाति चमार, निवासी केशरपुर तहसील व जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार अलवर दिनांक 11.02.2022 नामान्तकरण संख्या 662 वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर जिला अलवर।

उपस्थितः–
01–श्री अजीत कुमार यादव –वकील अपीलान्ट

निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 11.02.2022 नामान्तकरण संख्या 662 वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर जिला अलवर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

अपील विरूद्व आलोच्य आज्ञा दिनांक 11.02.2022 तहसीलदार (भू0अ0) अलवर तहसील व जिला अलवर बाबत नामान्तकरण संख्या 662 ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर राज0। विरासत मृतक सगरू पुत्र दूला मिन अपीलाण्ट की गैर जानकारी एवं गैर मौजुदगी में पारित की गई इसलिए मिन अपीलाण्ट को पूर्व में उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नही थी जिस कारण मिन अपीलान्ट अपील अन्दर अवधि पेश नही कर सकी जिसमें अपीलान्ट की कोई लापरवाही व बदयान्ती नही है अब अपीलाण्ट के पति तुलसीराम का स्वर्गवास दिनांक 26.04.2023 को होने के उपरान्त अपीलाण्ट के केसीसी ऋण हेतू हाल जमाबन्दी को नकल लेने पर दिनांक 21.09.2023 को ही आलोच्य आदेश की नकल प्राप्त कर वकील साहब से सलाह मश्वरा करने पर वकील साहब के द्वारा अविलम्ब अपील पेश करने को कहने पर यह अपील दिनांक 21.09.2023 तक आलोच्य आदेश की जानकारी नही होने के कारण कण्डोन फरमाये जाने योग्य है एवं अपीलान्ट को वकील साहब के द्वारा कानूनी जानकारी देने के उपरान्त दिनांक 21.09.2023 से अपील अन्दर मियाद पेश है जहा आदेश आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हो तथा पीडित पक्षकार को बिना सुन पारित किया गया हो, वहा मियाद का बिन्दु गौर हो जाता है। ऐसे आदेश को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। मियाद की कोई पाबन्दी नहीं ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। इसिलए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्ता अपील अपीलान्टान न्यायहित में अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अति आवश्यक है जिसके लिये प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हल्फनामा अलग से अदालत श्रीमान मे पेश किया जा रहा है।आराजी हाल खसरा नम्बर 223 रकबा 0.20 है0, 207 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर उक्त आराजी का मृतक सगरू पुत्र दूला का हिस्सा उव अपील में विादित आराजी है जिसे आगामी चरणों में विवादित आराजी से सम्बोधित किया जा रहा है। विवादित आराजी का खातेदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

काश्तकार रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ला0 08 का पति/पिता मृतक सगरू पुत्र दूला, जाति बैरवा, निवासी ग्राम केसरपुर, तहसील अलवर, जिला अलवर था, जो फौत हो गया। उक्त खातेदार काश्तकार मे उक्त विवादित आराजी को अपने जीवनकाल में मिन अपीलान्ट के पति तुलसीराम पुत्र श्री हीरा लाल को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 05.11.2015 पुस्तक संख्या01 जिल्द संख्या 1104, पृष्ट संख्या 171, क्रम संख्या 2015003039 उप पंजियक अलवर, (प्रथम) राजस्थान के जरिये बैचान कर दिया और प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मिन अपीलान्ट के पति तुलसीराम पुत्र श्री हीरालाल का मौके पर कब्जा करा दिया उक्त बैयनामा के जरिये मृतक सगरू पुत्र दूला व अन्य खातेदार खुशीराम पुत्र पल्टू स्वंय व बैहेसियत मुख्तयारआम केवल राम पुत्र स्व. श्री रामचन्द रामकला पुत्री स्व.रामचन्द्र, ने भी अपने हिस्से को बैचार मिन अपीलान्ट के पति तुलसीराम पुत्र श्री हीरालाल को किया गया है इस कारण बैयनामा में अन्य सहखातेदार खुशीराम पुत्र पल्टू स्वंय व बैहेसियत मुख्तयारआम केवल राम पुत्र श्री स्व. श्री रामचन्द्र, रामकला पुत्री स्व. रामचन्द का हिस्सा भी विवादित आराजी एवं अन्य आाजी खसरा नम्बर 205 रकबा 0.45 है0, 206 रकबा 0.23 है0, 209 रकबा 0.26 हैक्टर, 210 रकबा 0.05 हैक्टर, 211 रकबा 0.25 हैक्टर, 222 रकबा 0.15 हैक्टर, 224 रकबा 0.20 हैक्टर, 225 रकबा 0.19 हैक्टर, को खरीद करना भी दर्ज है। लेकिन अन्य सहखातेदार खुशीराम पुत्र पल्टू स्वंय व बैहसियत मुख्तायारनामा केवल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र रामकला पुत्री स्व. रामचन्द के हिस्से का कोई विवाद नहीं है। मिन अपीलान्ट का पति तुलसीराम पुत्र श्री हीरा लाल बरोज खरीद से अपने जीवनकाल तक तथा उसके पश्चात मिन अपीलान्ट आज तक अपन उक्त खरीदशुदा आराजी पर काबिज चली आ रही है। बैचान करने के उपरान्त सगरू पुत्र दूला मृतक का अपने जीवनकाल में व उसके स्वर्गवास उपरान्त उसके उक्त वारिसान रेस्पोडेण्ड संख्या 02 ला0 08 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वास्ता सरोकार व कब्जा नही रहा है गैर काबिज व गैर वास्ता रहे है। उक्त बयनामा के आधार पर अभी तक अपीलान्ट के पति तुलसीराम पुत्र श्री हीरालाल के हक में उक्त खरीदशुदा आराजी इन्तकाल बय दर्ज व तस्दीक नही हुआ है। अपीलान्ट के पति पति तुलसीराम पुत्र श्री हीरालाल के स्वर्गवास के उपरान्त तुलसीराम पुत्र श्री हीरालाल का एक मात्र वारिस मिन अपीलान्ट है। इसलिए मिन अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन नही हो पाया है। उक्त बात का नाजायज फायदा उठाते हुये रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ला0 08 ने पटवारी हल्का आदि से साजा बाज होकर अपने पति/पिता सगरू पुत्र दूला के मरने के बाद उसकी विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण खिलाफ कानून व खिलाफ मौका अपने हक मे दर्ज व तस्दीक कराकर राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम का अंकन करा लिया है। जबकि विवादित आराजी का बैचान हो जाने के कारण रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को रेस्पो0 संख्या 02 ला0 08 के हक मे विकेता सगरू पुत्र दूला मृतक का इन्तकाल विरासत दर्ज व तस्दीक करने का कोई नैतिक व विधिक अधिकार प्राप्त नही था अपीलाधीन इन्तकाल कायम रहने से मिन अपीलान्ट के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होते है। इसलिए अपीलाधीन इन्तकाल विवादित आराजी की सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार महोदय ने अपीलाधीन इन्तकाल करने से पूर्व मिन अपीलान्ट के पति तुलसीराम पुत्र श्री हीरालाल को कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया ना ही मौके पर कब्जे के बारे में जॉच की गई और गैर कानूनी तरीके से अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण का निर्णय किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की स्पष्टतया अवहेलना हुई। इसलिए उक्त नामान्तकरण का निर्णय किया है। इसलिए उक्त नामान्तकरण विवादित आराजी की सीमा तक गलत व निरस्तनीय है। नामान्तकरण को विवादित आराजी की सीमा तक निरस्त नही किया जाता है, तो अपीलान्ट के खातेदारी हकूक जायल होगे, तथा अपीलान्ट को सरकारी नीतियों का फायदा नही मिलेगा, तथा अपीलान्ट के फौत होने पर उसका विरासत का नामान्तकरण भी अपीलान्ट के वारिसान के नाम दर्ज होकर फैसल नही होगा। इन्तकाल खिलाफ तथ्य कानून मौके साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व समपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया है जिससे अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 11.02.2022 नामान्तकरण संख्या 662 वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2022 नामान्तकरण संख्या 662 वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 03.10.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 1 वर्ष 7 माह पश्चात पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि रेस्पो0 नं0 2 लगा0 8 के पिता/पति द्वारा अपीलांट के पिता को जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 05.11.2015 होने के बावजूद विरासत इंतकाल रेस्पो0 2 लगा0 8 के नाम दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय रेस्पो0 2 लगा0 8 के पिता द्वारा अपीलांट के पिता को किये गये बयनामा दिनांक 05.11.2015 पर कतई गौर नहीं किया गया। पत्रावलर के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त बयनामा को किसी भी न्यायायाल में चुनौती नहीं दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र विरासत को देखते हुए इंतकाल दर्ज व तस्दीक कर दिया गया। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2022 नामान्तकरण संख्या 662 वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर हाल आराजी ख0नं0 223 रकबा 0.28 है0, 207 रकबा 0.29 है0 के सगरू पुत्र दूला के हिस्से की हद तक निरस्त किया जाता है। बयनामा दिनांक 05.11.2015 में अंकन सगरू पुत्र दूला के हिस्से अनुसार अपीलांट के नाम इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बस्ता तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)